प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

लूट व हत्या जैसे अपराध में संलिप्त अभियुक्त पर रा.सु.का (N.S.A.) की कार्यवाही

दिनांक 02.12.22

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा लूट व हत्या की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र धनपाल मिश्रा निवासी ग्राम हडहा मलिकापुर थाना पाली जिला हरदोई के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा दिनांक 05.03.22 को लूट व हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना रामपुर कलां पर अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र कार्यवाही करते हुए अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र धनपाल मिश्रा निवासी ग्राम हडहा मलिकापुर थाना पाली जिला हरदोई को दिनांक 26.03.22 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद लोगों में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 19.04.22 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त वर्तमान मे जिला कारागार सीतापुर मे निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत था। N.S.A.अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को अग्रिम 01 वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त रवि मिश्रा उपरोक्त के विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा दिनांक 01.12.2022 को राष्ट्रीय

सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अन्तर्गत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही से जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

अभियुक्त का नाम/पता- रवि मिश्रा पुत्र धनपाल मिश्रा निवासी हडहा मलिकापुर थाना पाली जिला हरदोई।

आपराधिक इतिहास अभि0 रवि मिश्रा उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 53/22 धारा 394/302/504/506/411/120B IPC थाना रामपु कलां सीतापुर।

2.मु0अ0सं0 79/22 धारा 307 भादवि थाना रामपुरकलां सीतापुर।

3.मु0अ0सं0 82/22 धारा 25(1-B) A ACT थाना रामपुरकलां सीतापुर।